

वारिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद- बरेली
 NR-914-820 NR-322 GR-500
 दिनांक: 03.05.2024

माधु जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य न्यायाधिक प्रतिप्रेत,
 जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त कनिष्ठ / वारिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक,
 जिला / केन्द्रीय जेल अधीक्षक / राजकीय सम्भोजन गृह (किशोर), समस्त जनपद, 00प्र0 एवं गैर प्रान्त
 हथियाणा / उत्तराखण्ड / राजस्थान / तीस हजारी कोर्ट (दिल्ली) / कन्नड़कुटा कोर्ट (दिल्ली) / सिविली
 कोर्ट (दिल्ली) / नानैत कोर्ट (दिल्ली)

विषय: लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष-2024, इलाहाबाद, धारा 174, प्रमाणिकता, प्रमाणिकता के अभाव में जनपद बरेली
 से अधिकांश पुलिस बल खाना/डिप्लोमेट होने के कारण, विचाराधीन / दोषसिद्ध बन्दी वेणी स्वर/खान
 हवालत व अन्य जनपद मामल भेजने से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में:

महोदय,
 लक्ष्य अंगत धरणा है कि जनपद बरेली में दिनांक: 07.05.2024 को प्रमाणिकता निरन्तर
 प्रमाणिकता के अभाव में जनपद बरेली में दिनांक: 08.05.2024 को जनपद / पुलिस लाइन बरेली का अधिकांश
 पुलिस बल लोकसभा चुनाव को सफुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु गैर जनपद खाना किया जाना है, जो रात
 समाप्त चुनाव दिनांक 05.06.2024 को जनपद सापस आयेगा, पुलिस लाइन बरेली का अधिकांश पुलिस बल
 पूर्व से ही शांति व्यवस्था हेतु जनपद अयोध्या व लोकसभा निर्वाचन इरीएम स्ट्राफ कन सुरक्षा में डिप्लोमेट है।
 निम्न कारण विस्तार प मुलाजिमान होने के कारण दिनांक 05.05.2024 से 05.06.2024 तक खान / प्रमाण
 प्रमाणिकता के अभाव में जनपद बरेली में पूर्ण सुरक्षा के साथ माननीय न्यायालय में सुजात रूप में
 प्रमाणिकता कराया जाना सम्भव नहीं होसकता।
 अतः अनुरोध है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष-2024 चुनाव को इष्टित रखते हुये दिनांक:
 05.05.2024 से 05.06.2024 तक विचाराधीन / दोषसिद्ध बन्दी स्वर/खान हवालत वेणी व अन्य जनपद
 कीकमत विवादों एवं आद्य उपचार को निरन्तर/अवमुक्त करने एवं वीडियो नानैत विषय के महत्व के अभाव
 रिमांड विरुद्ध निम्नप्रकार वेणी की कार्यवाही राज्यन्य माराने की कृपा करे।




3. 11. 2024
 2350
 03.05.2024
 06/4/05
 test
 sign not clear.
 वारिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
 जनपद- बरेली।
 03/05
 741-2330/04
 08/5/5

कार्यालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली
 संख्या 14455-14535 / सामान्य शाखा / तीस हजारी/2024 दिनांक: 07 MAY 2024

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :
- सभी माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यू / वेस्ट / नई दिल्ली / साउथ वेस्ट / साउथ / साउथ ईस्ट / नॉर्थ / नॉर्थ वेस्ट / ईस्ट / नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली / नई दिल्ली।
 - सभी माननीय न्यायालय (आपराधिक मामलों से निपटने वाले), केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

(Signature)
 (रविंदर बेदी)

जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)/
 प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा,
 केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली




कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

संख्या 16847-16895 सामान्य शाखा / रोहिणी कोर्ट /2024

दिनांक 13/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- सभी माननीय न्यायिक अधिकारी (आपराधिक मामलो से सम्बंधित), उत्तर - पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली ।
- सम्बंधित कर्मचारी (कम्प्यूटर अनुभाग) रोहिणी न्यायालय , दिल्ली वेबसाइट पर अपलोड करें।
- सम्बंधित कर्मचारी (निर्गम एवं प्राप्ति अनुभाग) रोहिणी न्यायालय , दिल्ली लेयर्स पर अपलोड करें।



(श्री विनोद यादव)

जिला अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय -02 (उ. प.)

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग,

रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।